

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

क्रमांक: F.5 (333)/ DoIT/ Tcch/ 08/ 398,

जयपुर, दिनांक: 01-02-2011.

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय:- सुगम-एकल खिड़की प्रणाली परियोजना स्थापित कर संचालन करने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न जिला कलेक्टर को उनके नाम के सामने अंकित राशि जिला एवं तहसील स्तर पर सुगम परियोजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपीएस, आई.ई.सी., स्टेशनरी एवं विविध पर होने वाले व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत राशि रुपये 6,01,54,000 मात्र (अक्षरे रुपये छः करोड एक लाख चौवन हजार मात्र) व्यय करने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

Sno	District Name	Total Amount
1	Ajmer	2143000
2	Alwar	2776900
3	Banswara	1297800
4	Baran	1931700
5	Barmer	1931700
6	Bharatpur	2354300
7	Bhilwara	3199500
8	Bikaner	1931700
9	Bundi	1297800
10	Chittaurgarh	2354300
11	Churu	1509100
12	Dausa	1297800
13	Dhauipur	1297800
14	Dungarpur	1086500
15	Ganganagar	2143000
16	Hanumangarh	1720400
17	Jaipur	2988200
18	Jaisalmer	875200
19	Jalor	1720400
20	Jhalawar	1720400
21	Jhunjhunun	1509100
22	Jodhpur	1720400
23	Karauli	1509100
24	Kota	1297800
25	Nagaur	2565600
26	Pali	2143000
27	Pratapgarh	1297800
28	Rajsamand	1720400
29	Sawai Madhopur	1720400
30	Sikar	1509100
31	Sirohi	1297800
32	Tonk	1720400
33	Udaipur	2565600
	Total	60154000

कृ पृ उ

उक्त व्यय निम्नांकित बजट मद से प्रभार्य होगा:-

- 5475 – Capital Outlay On Other General Economic Services
- 800 – Other Expenditure
- 05 – Information Technology in Government Departments
- 62 – Computerization (E-Sugam) (Plan)

उक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

1. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा किये गये मदवार आवंटन तथा जारी दिशा-निर्देशानुसार ही राशि व्यय की जा सकेगी।
2. समस्त रिकार्ड जिला स्तर पर संधारित किया जायेगा।
3. अंकेक्षण व सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा मांगे जाने पर समस्त रिकार्ड उपलब्ध करवाया जायेगा।
4. मासिक खर्च की सूचना हर माह की 7 तारीख तक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
5. टी.डी.एस. की कटौती नियमानुसार अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।


उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. संख्या 261100017 दिनांक 01.02.11 के अनुसरण में जारी की जाती है।

उक्त परियोजना के अन्तर्गत आवंटित राशि के अनुसार व्यय करने के लिए समस्त जिला कलेक्टर्स को आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने के आदेश वित्त (बजट) विभाग के द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

24/2/17
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
4. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त राशि के लिये समस्त जिला कलेक्टर्स को आहरण वितरण अधिकारी घोषित करवाने का श्रम करें।
6. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-3) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी, आयोजना विभाग, सचिवालय, जयपुर।
8. संबंधित कोषाधिकारी,.....।
9. मुख्य लेखाधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


सिस्टम एनालिस्ट
एवं कार्यालयाध्यक्ष